न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना , सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 134 / 2020 (जीसीएमएस 2020 / 00152)

1. रामस्वरुप पुत्र रुडा जाति बलाई निवासी ग्राम भगेगा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित– श्री प्रहलाद सिंह यादव वकील वादी

निर्णय

दिनांक – 08-02-2021

संक्षेप में वाद वादी इस प्रकार है कि ग्राम भगेगा आर.एस. पटवार हल्का भगेगा स्थित भूमि खसरा नंबर 42 रकबा 0.05 है., 43 रकबा 1.40 है0, 44 / 591 रकबा 0.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 है0 की जमाबन्दी में वादी का नाम घीवडा पुत्र रुडा हिस्सा 3 / 16 दर्ज है। तथा ग्राम भगेगा आर.एस. पटवार हल्का भगेगा स्थित भूमि खसरा नंबर 39 रकबा 0.01 है., 40 रकबा 0.08 है0, 41 रकबा 3.98 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.07 है0 की जमाबन्दी में वादी का नाम घसीडा पुत्र रुडा हिस्सा 1 / 8 दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामस्वरुप पुत्र रुडा है। वादी के समस्त रिकॉर्ड यथा परिवार राशन कार्ड, वोटर आईडी में भी रामस्वरुप पुत्र रुडा दर्ज है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में गलती से नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादी का नाम घीवडा पुत्र रुडा व घसीडा पुत्र रुडा दर्ज कर दिया। जिस कारण वादी को काफी हक तलफी [illegible] वादी का नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर [illegible] पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर [illegible] के राजस्व रिकॉर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

वादी का नाम घीवडा पुत्र रुडा व घसीडा पुत्र रुडा के स्थान पर रामस्वरुप पुत्र रुडा घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से नायब तहसीलदार नीमकाथाना उपस्थित आये। बहस वकील वादी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम भगेगा आर.एस. पटवार हल्का भगेगा स्थित भूमि खसरा नंबर 42 रकबा 0.05 है., 43 रकबा 1.40 है0, 44/591 रकबा 0.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 है0 की जमाबन्दी में वादी का नाम घीवडा पुत्र रुडा हिस्सा 3/16 दर्ज है। तथा ग्राम भगेगा आर.एस. पटवार हल्का भगेगा स्थित भूमि खसरा नंबर 39 रकबा 0.01 है., 40 रकबा 0.08 है0, 41 रकबा 3.98 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.07 है0 की जमाबन्दी में वादी का नाम घसीडा पुत्र रुडा हिस्सा 1/8 दर्ज है। वादी का कथन कि वादी का वास्तविक नाम रामस्वरुप पुत्र रुडा है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से घीवडा पुत्र रुडा व घसीडा पुत्र रुडा दर्ज कर दिया है के समर्थन में वादी ने परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बिजली बिल, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत भगेगा आदि प्रस्तुत किया है जिसमें वादी का नाम रामस्वरुप पुत्र रुडा दर्ज है। वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र एवं दो गवाहान के शपथ पत्र पेश किये जिसमें वादी का सही नाम रामस्वरुप पुत्र रुडा होना अंकित एवं कथन किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, शपथ पत्र से वाद वादी बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भगेगा आर.एस. पटवार हल्का भगेगा स्थित भूमि खसरा नंबर 42 रकबा 0.05 है., 43 रकबा 1.40 है0, 44/591 रकबा 0.60 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 है0 में दर्ज खातेदार **घीवडा पुत्र रुडा हिस्सा 3/16** के स्थान पर **रामस्वरुप पुत्र रुडा हिस्सा 3/16** तथा ग्राम भगेगा आर.एस. पटवार हल्का भगेगा स्थित भूमि खसरा नंबर 39 रकबा 0.01 है., 40 रकबा 0.08 है0, 41 रकबा 3.98 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.07 है0 में दर्ज खातेदार **घसीडा पुत्र रुडा हिस्सा 1/8** के स्थान पर **रामस्वरुप पुत्र रुडा हिस्सा 1/8** दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:27 IST
Reason: SelfAttested